कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/पी0जी0–2024/2542 लखनऊःदिनांक 05/11/ 2024

यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश

- नीट पी0जी0–2024 की परीक्षा में सफल घोषित किए गये अभ्यर्थी ही यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 **(एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा एवं डी0एन0बी0)** की काउसिंलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह है।
- डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की स्टेट कोटा की सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के In-Service अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे, जिनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 06.09.2024 एवं 18.09.2024 को उपलब्ध करायी गयी है।
- एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम की स्टेट कोटा की सीटों हेतु पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 06.09.2024 एवं 18.09.2024 को उपलब्ध करायी गयी हैं, वहीं अभ्यर्थी भारांक प्राप्त करने हेतु अर्ह है।
- इन–सर्विस (In-Service) कोटा अभ्यर्थियों को भारांक (Weightage) प्रदान करने हेतु दिनांक 28.10.2024 को NMC, MCC, NBEMS एवं स्टेट काउंसिलिंग अथार्टीज़ के मध्य सम्पन्न बैठक में यह निर्देश प्राप्त हुए है कि नीट पी0जी0–2024 की काउंसिलिंग हेतु केवल एक बार पंजीकरण प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी तथा पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची NBEMS को प्रेषित की जायेगी। NBEMS द्वारा उक्त पंजीकृत अभ्यर्थियों की सूची में से इन–सर्विस (In-Service) कोटा अभ्यर्थियों को भारांक (Weightage) प्रदान करते हुए स्टेट स्पेशिफिक मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

  उक्त से स्पष्ट है कि यू0पी0 नीट पी0जी0–2024 की काउन्सिलिंग हेतु मेरिट सूची के प्रख्यापन की कोई भी कार्यवाही इस कार्यालय द्वारा नहीं की जा रही है। अतएव NBEMS द्वारा उपलब्ध करायी गयी मेरिट सूची के आधार पर समस्त चक्रो की काउन्सिलिंग करायी जायेगी।
- डिलोमा पाठ्यक्रम हेतु पूर्व में निर्धारित व्यवस्था इस वर्ष भी लागू रहेगी।
- सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जायेगी।
- ***निजी क्षेत्र के*** मेडिकल ***कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाईस लॉक करें। अन्यथा की स्थिति सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।***
- काउन्सिलिंग हेतु निर्धारित समय–सारिणी के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर ऑनलाइन च्वाईस भरी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नहीं है।
- **ऑनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाईस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को सीट आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
- निजी क्षेत्र के गैर अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजों मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याःआई0/782309/2024, दिनांक 28.10.2024 द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क(Tution Fee) एवं अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजो में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क(Tution Fee), **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे तैयार सी0टी0एस0 बैंक ड्राफ्ट, जो लखनऊ मे देय हो,** प्रवेश के समय निर्धारित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति मे प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की जायेगी। आवंटन पत्र पर आवंटित कालेज/चिकित्सालय/पाठ्यक्रम/नोडल सेन्टर के नाम अंकित होगा।
- राजकीय क्षेत्र की एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय में पूर्ण की जायेगी।

- राजकीय क्षेत्र की डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज/चिकित्सालय में पूर्ण की जायेगी।
- **ऐसे अभ्यर्थी जिनका एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा तथा डी0एन0बी0 दोनों में आवंटन हो गया है, वह अभ्यर्थी किसी एक ही पाठ्यकम में ही प्रवेश ले सकते हैं।**
- उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि **अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र दिनांक 01 अप्रैल, 2024 अथवा इसके पश्चात् का ही मान्य होगा।**
- **भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे।**
- आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनूसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) संबंधी समस्त प्रमाण–पत्र उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होंगे।
- दिव्यांगता प्रमाण–पत्र, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी, Director General of Health Services (DGHS) Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।
- आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों का कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराये जाने के उपरान्त प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप में सम्बन्धित राजकीय मेडिकल कालेज अथवा नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी।
- प्रवेश के समय अथवा प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण–पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण–पत्र/सूचना कूटरचित पायी जाती है, तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।
- काउन्सिलिंग के संबंध मे अद्यतन/महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी हेतु समय–समय पर विभागीय वेबसाइट **www.dgme.up.gov.in** तथा **www.upneet.gov.in** का निरन्तर अवलोकन करते रहे।

कृते महानिदेशक।